रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 587] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 27, 2002/पौष 6, 1924
No. 587] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 27, 2002/PAUSA 6, 1924

रेल मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2002

सा.का.नि. 842(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 198 तथा धारा 200 की उप-धारा (2) के खंड (क) के साथ पठित धारा 60 की उप-धारा (2) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रेल (चालू लाइनें) साधारण नियम, 1976 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय रेल (चालू लाइनें) साधारण (संशोधन) नियम, 2002 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय रेल (चालू लाइनें) साधारण नियम, 1976 में—

(i) नियम 4.17 के उप नियम (2) के खंड (ख) में निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"परन्तु जहाँ किसी सेक्शन में, ब्लॉक प्रूविंग एक्सल काउंटर या ट्रैक सर्किट और किसी सिरे पर नॉन-रनिंग लाइनों को छोड़कर सम्पूर्ण ट्रैक सर्किट वाले स्टेशन यार्ड की व्यवस्था है तथा जहां ऐसे उपस्कर की व्यवस्था वाला ब्लॉक सेक्शन क्लियर इंडिकेशन स्वत: ही ब्लॉक सेक्शन की क्लीयरेंस सुनिश्चित करेगा, वहां गाड़ी को रोके रखने की आवश्यकता नहीं है,";

(ii) नियम 14.05 में टिप्पण (2) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(3) निर्देश सं. 3 और 4 के अंतर्गत घंटी कोडों का आदान-प्रदान उस सेक्शन पर अपेक्षित नहीं है जहाँ ब्लॉक प्रूविंग एक्सल काउंटर या ट्रैक सर्किट की व्यवस्था है या किसी सिरे पर नॉन-रनिंग लाइनों को छोड़कर, सम्पूर्ण ट्रैक सर्किटिंग वाले यार्ड हैं,";

(iii) नियम 14.10 में उप-नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(4) ब्लॉक प्रूविंग एक्सल काउंटर या ट्रैक सर्किट तथा किसी सिरे पर नॉन रनिंग लाइनों को छोड़कर संपूर्ण ट्रैक सर्किट वाले स्टेशन यार्ड की व्यवस्था वाले सेक्शन में, ऐसे उपस्कर की व्यवस्था वाला ब्लॉक सेक्शन क्लीयर इंडिकेशन, उपर्युक्त उप-नियम (1), (2) और 3 के उपबंधों का अनुपालन भी सुनिश्चित करेगा।"

[सं. 99/सेफ्टी (ए एंड आर)/19/7]

एम. सी. श्रीवास्तव, सदस्य यातायात
तथा पदेन सचिव

पाद टिप्पणी :—मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 445(अ) तारीख 21 जुलाई, 1981 के तहत प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनमें निम्नलिखित अधिसूचनाओं के तहत संशोधन किए गए :—

1. सा.का.नि. 320 तारीख 16 अप्रैल, 1983,
2. सा.का.नि. 352, तारीख 30 अप्रैल, 1983,
3. सा.का.नि. 514(अ), तारीख 27 जून, 1983,
4. सा.का.नि. 476(अ), तारीख 28 जून, 1984,
5. सा.का.नि. 245, तारीख 23 मई, 1992,
6. सा.का.नि. 83, तारीख 17 फरवरी, 1996,
7. सा.का.नि. 101, तारीख 23 मई, 1998,
8. सा.का.नि. 47, तारीख 13 फरवरी, 1999,
9. सा.का.नि. 213(अ), तारीख 18 मार्च, 1999,
10. सा.का.नि. 283(अ), तारीख 26 अप्रैल, 1999,
11. सा.का.नि. 581(अ), तारीख 3 जुलाई, 2000,
12. सा.का.नि. 708(अ), तारीख 6 सितंबर, 2000,
13. सा.का.नि. 852(अ), तारीख 8 नवंबर, 2000 (शुद्धि पत्र),
14. सा.का.नि. 893(अ), तारीख 24 नवंबर, 2000 तथा,
15. सा.का.नि. 913(अ), तारीख 12 दिसंबर, 2000

MINISTRY OF RAILWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th December, 2002

G.S.R. 842(E).—In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (2) of Section 60, read with Section 198 and clause (a) of sub-section (2) of Section 200, of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Railways (Open Lines) General Rules, 1976, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Railways (Open Lines) General (Amendment) Rules, 2002.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Railways (Open Lines) General Rules, 1976,—

(i) in rule 4.17, in sub-rule (2), in clause (b), the following shall be inserted, namely :—

"Provided that where in a section, a block proving axle counter or track circuit and complete track circuiting of station yard, excluding non-running lines on either end is provided and where block section clear indication provided with such equipment shall ensure clearance of block section automatically, the withholding may not be necessary.";

(ii) in rule 14.05, after Note (2), the following shall be inserted, namely :—

"(3) Exchange of bell codes under reference Numbers 3 and 4 are not required in a section provided with block proving axle counter or track circuit having complete track circuiting of station yard excluding non-running lines on either end,";

(iii) in rule 14.10, after sub-rule (3), the following shall be inserted, namely :—

"(4) In a section with block proving axle counter or track circuit and complete track circuiting of station yard, excluding non-running lines on either end, block section clear indication provided with such equipment shall also ensure compliance of the provisions of sub-rules (1), (2) and (3) above."

[No. 99/Safety (A&R)/19/7]

M. C. SRIVASTAVA, Member Traffic and Ex-Officio Secy.

Foot Note.—The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number G.S.R. 445(E), dated the 21st July, 1981 and subsequently amended vide notifications number :—

(1) G.S.R. 320, dated the 16th April, 1983,
(2) G.S.R. 352, dated the 30th April, 1983,
(3) G.S.R. 514(E), dated the 27th June, 1983,
(4) G.S.R. 476(E), dated the 28th June, 1984,
(5) G.S.R. 245, dated the 23rd May, 1992,
(6) G.S.R. 83, dated the 17th February, 1996,
(7) G.S.R. 101, dated the 23rd May, 1998,
(8) G.S.R. 47, dated the 13th February, 1999,
(9) G.S.R. 213(E), dated the 18th March, 1999,
(10) G.S.R. 283(E), dated the 26th April, 1999,
(11) G.S.R. 581(E), dated the 3rd July, 2000,
(12) G.S.R. 708(E), dated the 6th September, 2000
(13) G.S.R. 852(E) dated the 8th November, 2000 (Corrigendum)
(14) G.S.R. 893(E), dated the 24th November, 2000 and
(15) G.S.R. 913(E), dated the 12th December, 2000.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054